बिहार सरकार
शिक्षा विभाग,
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
::आदेश::

पटना, दिनांक 17/02/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–492/2025–804/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–2243/2017 मंजु सिन्हा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–10.11.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–10.11.2025 को न्यायादेश पारित की गई, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

".....In light of the aforesaid submissions made by the parties, this writ application is disposed of directing the petitioners to file a representation before the Director, Primary Education, Education Department, Government of Bihar, Patna (respondent no. 2) within one month from today and if such a representation is filed, the same shall be heard and disposed of on merit after giving an opportunity of hearing to the petitioners, by passing a reasoned and speaking order. The entire exercise must be completed by the Director, Primary Education, Education Department, Government of Bihar, Patna (respondent no. 2) within three months from the date of filing of the representation by the petitioners....."

3. माननीय न्यायालय द्वारा याचिका सं0–2243/2017 मंजु सिन्हा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–10.11.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में वादीगण को सुनवाई का मौका देते हुए दिनांक–13.12.2025, दिनांक– 08.01.2026, दिनांक– 27.01.2026, तथा दिनांक–02.02.2026 को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, जिसमें वादीगण के पक्षकार विद्वान अधिवक्ता द्वारा पक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. वादीगण का कथन है कि उन्होंने 1980 से 1982 के बीच राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किये। इस प्रशिक्षण अवधि में उन्हें राज्य सरकार द्वारा पचास रूपये प्रतिमाह का स्टाइपेंड प्रदान किया गया था। स्टाइपेंड प्राप्त करने से पूर्व उनसे वचनबद्धता पत्र भी लिया गया था। जिसमें स्पष्ट था कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद हम राज्य सरकार के अंतर्गत शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध रहेंगे। यह पूरी प्रक्रिया बिहार सेवा संहिता के नियम– 218 से 220 के अनुसार हुई थी और इन नियमों के तहत प्रशिक्षण अवधि में दी गई स्टाईपेंड को सेवा के समान माना गया है। इसलिए इस प्रशिक्षण अवधि को सेवा गणना का विधिक रूप से वैध मानना कोई अनोखी मांग नहीं है बल्कि यह राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप है।

5. साथ ही अनुरोध किया गया है कि प्रशिक्षण सत्र 1980–82 अथवा पैनल वर्ष 1985–86/नियुक्ति वर्ष 1988 के समतुल्य की जाए तथा उन्हें वरिष्ठता, पेंशनरी लाभ, वेतन निर्धारण, ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 एवं अन्य सभी सेवा लाभ उन अभ्यर्थियों के समान प्रदान की जाए जिन्हें उसी पैनल से 1988 में नियुक्ति दी गई थी, ताकि दीर्घकालीन विलंब एवं

त्रुटिपुर्ण प्रशासनिक निर्णयों के कारण हमें हुए नुकसान की भरपाई हो सके और हमें विधि–सम्मत समानता एवं न्याय प्राप्त हो सके।

6. अंकनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ता श्रीमति मंजु सिन्हा एवं अन्य की नियुक्ति वर्ष 2007 में प्रखंड शिक्षक के रूप में हुई तथा वर्ष 2012 में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली।

7. निर्धारित सुनवाई में उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी अपने कार्यालय पत्रांक–346 दिनांक–31.01.2026 द्वारा वादीगण से संबंधित साक्ष्य समर्पित किया गया। जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है:–

(i) विषयांकित याचिका, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा किए गए पत्राचार एवं दायर प्रतिशपथ पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण ने शिक्षण सत्र 1980–82 में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण उनकी नियुक्ति प्रशिक्षण के उपरांत समय पर नहीं हो सकी थी। वादीगण के समान ही संपूर्ण बिहार के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया था, जिसके आदेश के आलोक में 34540 कोटि के अंतर्गत अन्य शिक्षकों के साथ वादीगण की नियुक्ति भी वर्ष 2012 में हुई थी।

(ii) वादीगण ने नियुक्ति की शर्तों को स्वीकार करते हुए अपनी सेवा जारी रखी। अब सेवानिवृत्ति की तिथि निकट आने पर, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका दायर कर अपनी सेवा की गणना प्रशिक्षण सत्र 1980–82 से करने तथा तदनुसार पेंशन आदि के लाभ दिए जाने का दावा किया है। यद्यपि नियुक्ति में विलंब हुआ, तथापि वादीगण ने वर्ष 2012 में नियुक्ति पत्र की शर्तों को स्वीकार करते हुए योगदान दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार यह एक विशेष नियुक्ति प्रक्रिया थी, जिसमें पिछली अवधि के वित्तीय लाभ या काल्पनिक सेवा वरिष्ठता (Notional Seniority) का लाभ देने का कोई निर्देश सम्माहित नहीं था।

(iii) यह स्थापित नियम है कि कोई भी कर्मचारी उस तिथि से वरिष्ठता या सेवा लाभ का दावा नहीं कर सकता, जब वह कैडर में शामिल ही नहीं हुआ था। चूंकि वादीगण की नियुक्ति 2012 में हुई है, इसलिए 1982 (प्रशिक्षण की तिथि) से सेवा की गणना करना कानूनन गलत है। बिहार सेवा नियमावली और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधानों के अनुसार, सेवा और पेंशन की गणना वास्तविक पदभार ग्रहण करने की तिथि (Joining Date) से की जाती है। प्रशिक्षण सत्र या डिग्री प्राप्ति की तिथि को सेवा की शुरुआत नहीं माना जा सकता।

(iv) पेंशन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, पेंशन की गणना 'अर्हक सेवा' (Qualifying Service) के आधार पर की जाती है, जिसकी गणना पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होती है। प्रशिक्षण प्राप्त करना एक 'योग्यता' (Qualification) मात्र है, इसे 'वास्तविक सेवा' (Service) की श्रेणी

में नहीं रखा जा सकता। अतः बिना वास्तविक सेवा के केवल प्रशिक्षण अवधि के आधार पर पेंशन लाभ देना नियमानुकूल नहीं है और यह राजकीय कोष पर अनुचित वित्तीय भार डालता है।

(v) उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू है। चूंकि वादीगण की नियुक्ति वर्ष 2012 की है, इसलिए वे स्वतः ही नई पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख उनके नियुक्ति पत्र की शर्त संख्या 6 में भी किया गया है।

(vi) यदि प्रशिक्षण सत्र 1980–82 के उपरांत पदों की अनुपलब्धता अथवा अन्य कारणों से वादीगण की नियुक्ति संभव नहीं हो सकी, तो भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective Effect) से उनकी नियुक्ति का दावा न्यायसंगत नहीं है। विभागीय नियमावली में भी पिछली तिथि से नियुक्ति प्रदान करने का कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है।

(vii) वादीगण का प्रशिक्षण 1982 में पूर्ण हुआ और नियुक्ति 2012 में हुई। इतने दशकों बाद सेवानिवृत्ति के समय सेवा गणना को चुनौती देना 'प्रवाद और विलंब' के सिद्धांत (Doctrine of Laches) के तहत खारिज करने योग्य है, जैसा कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में स्थापित है।

8. यह भी अंकनीय है कि वादीगण ने वर्ष 2012 में नियुक्ति पत्र की शर्तों को स्वीकार करते हुए योगदान दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार यह एक विशेष नियुक्ति प्रक्रिया थी, जिसमें पिछली अवधि के वित्तीय लाभ या काल्पनिक सेवा वरिष्ठता (Notional Seniority) का लाभ देने का कोई निर्देश सम्माहित नहीं था।

उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में वादीगण के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है।

(विक्रम बिरकर) IAS
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–492 / 2025 904 पटना, दिनांक 17/02/26

प्रतिलिपिः– **1.** Manju Sinha W/o Late Upendra Singh, Resident of Village- Mushari, P.S.- Parsauni, District- Sitamarhi, presently posted as Assistant Teacher, Middle School Koriyahi, Parsurampur, P.S.- Parsauni, District- Sitamarhi

2. Anima Kumari, W/o Arvind Kumar Singh, Resident of Village- Mushari, P.S.- Parsauni, District- Sitamarhi, presently posted as Assistant Teacher Middle School Koriyahi, Parsurampur, P.S.- Parsauni, District- Sitamarhi.

3. Md. Israphil, S/o Md. Gulzar, Resident of Village- Parsauni Mailwar, P.S.- Parsauni, District- Sitamarhi, presently posted as Assistant Teacher, Middle School Dhanhara, Parsurampur, P.S.- Parsauni, District- Sitamarhi को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–492 / 2025......304...... पटना, दिनांक ...17/02/26.....

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।